

मैनुअल संख्या-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नागरिकों को सूचना अभिप्राप्त कराने हेतु उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां निम्नवत् हैं—

पुस्तकालय—

राज्य परियोजना कार्यालय तथा प्रत्येक जिला परियोजना कार्यालय में विभाग का अपना पुस्तकालय है। परन्तु पुस्तकालय आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उपरोक्त के अलावा रूमटूरीड इण्डिया ट्रस्ट के सहयोग से वर्ष 2005 में जनपद हरिद्वार में रूमटूरीड कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। सन् 2006 से कार्यक्रम को जनपद टिहरी व वागेश्वर में विस्तार दिया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के 50 तथा जनपद टिहरी व वागेश्वर के 100 प्रति प्राथमिक विद्यालयों को आच्छादित किया गया प्रत्येक विद्यालय को बाल साहित्य से सम्बन्धित 500 पुस्तकें उपलब्ध करवायी गई हैं। साथ ही पढ़ने के लिए कक्ष/लर्निंग कार्नर, अलमारी आदि भी विद्यालयों को उपलब्ध करवायी गई हैं। पुस्तकालयी सुविधा हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को रू0 20000.00 की धनराशि उपलब्ध करवायी गई है। बच्चों में पढ़ने की दक्षता विकसित करने हेतु प्रेरकों की नियुक्ति की गई है।

नाटक/नुक्कड़ नाटक—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आम जन को प्रेरित करने हेतु नाटकों/ नुक्कड़ नाटकों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। सभी बच्चों को विद्यालयों में नामांकित करवाने हेतु माह अप्रैल से जून तक स्कूल चलो अभियान, बैक-टु-स्कूल शिविर आदि का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रवेश महोत्सव का आयोजन प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में नव प्रवेशी बच्चों के स्वागत करने हेतु किया जाता है। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भी एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दीवार लेखन, नाटकों व नुक्कड़ नाटकों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा विभाग द्वारा आम जनमानस को विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का भरपूर लाभ देने हेतु निम्नवत् कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं—

1. जनपद स्तर पर पुस्तक मेलों का आयोजन।
2. प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर किया जाता है। मेले में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक, रंगोली, वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों हेतु किया जाता है। मेले में विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने हेतु पुस्तक प्रदर्शनी, टी0एल0एम0 प्रदर्शनी आदि भी लगाई जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

3. संकुल स्तर से राज्य स्तर तक टी0एल0एम0 प्रदर्शनी का आयोजन इस उद्देश्य से किया जाता है कि अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री का लाभ प्रत्येक बच्चे तथा अध्यापक को मिल सके। अभिप्रेरण पुस्तिका में समस्त टी0एल0एम0 प्रकाशित किए गए हैं तथा प्रत्येक जिला परियोजना कार्यालय और डायट को पुस्तिकायें वितरित की गई हैं।
4. विशिष्ट आवश्यकता धारी बच्चों हेतु विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का आयोजन समय-समय पर विभाग द्वारा किया जाता है।
5. जनपद तथा राज्य स्तर से विभिन्न कार्यक्रमों पर फोल्डर्स तथा ब्राशर्स का प्रकाशन किया जाता है तथा आम जन तक इसे उपलब्ध करवाया जाता है।
6. बैसिक शिक्षा संख्यिकी का प्रति त्रैमास में प्रकाशन राज्य स्तर पर किया जाता है।
7. समय-समय पर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों व ग्राम प्रधानों को कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रालेख लिखे जाते हैं।
8. अभिभावकों को अपनी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति प्रेरित करने हेतु मीना फिल्म का प्रदर्शन ग्राम स्तर पर किया जाता रहा है।
9. चयनित संकुलों में माँ बेटी मेलों का आयोजन किया जाता है।
10. राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मांडयूल समाधान, आशा, बढ़ते कदम का प्रकाशन अध्यापकों, ग्रामशिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति तथा ममता समूहों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु प्रकाशित किया गया।
11. सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
12. समाचार पत्रों तथा टी0वी0 चैनलों पर भी समय-समय पर जागरूकता विज्ञापन प्रकाशित किए जाते रहे हैं।
13. समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्रति त्रैमास में "सहयात्री" पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।